

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(6)नविवि/फलौदी/2024-08216

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अति. मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर को फलौदी (जिला-फलौदी) के नगरीय क्षेत्र, का सिविक सर्वेक्षण एवं क्षितिज वर्ष-2043 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु दिनांक 12.06.2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। उक्त क्रम में राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.06.2024 को प्रत्याहरित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, फलौदी।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, फलौदी।
10. सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम